

विर



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र० क० एक / विविध / छतरपुर / भूरा. / 2018 विविध- 2819/2018/छतरपुर/भूरा

श्री. रविन्द्र कुमार पिता प्रभूदयाल
द्वारा प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु रविन्द्र कुमार पिता प्रभूदयाल
दिनांक 5-6-18 निवेदित।
निवासी ग्राम दोनी तहसील व
जिला छतरपुर म०प्र०
---आवेदक

विरुद्ध

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
5-18

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय छतरपुर
--- अनावेदक

R.V.
7/5/18

विविध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959
के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में ~~नया~~ तहसीलदार तहसील व जिला
छतरपुर द्वारा पंजी कमांक 22 में आदेश दिनांक 15.04.1978 के
तारतम्य में रिकार्ड/खसरा में पृविष्टि कराने की स्वीकृति वाबत।

माननीय महोदय,

आवेदक का निवेदन निम्न प्रकार है:-

1- यह कि प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम हीरापुर पटवारी हल्का कमांक 83 खसरा नंबर 238/1/1 में से रकवा 1.000 है० लगानी 10.00 रुपये मात्र का आवेदक को भूमि स्वामी हक नामांतरण पंजी कमांक 22 में ~~नया~~ तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश 15.04.1978 से प्रदत्त किये गये थे, लेकिन पटवारी अभिलेख में उपरोक्त भूमि शासकीय दर्ज है जिससे आवेदक द्वारा अपने नाम रिकार्ड दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राजस्व मण्डल, ग्वालियर
उपरोक्त पत्र पर
पु.उ. सं. 31 से 29
दिनांक 7/5/18
हस्ताक्षर व नाम CS

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-2819/2018/छतरपुर/भू.रा.

रविन्द्र कुमार विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-07-2018	<p>1) आवेदक श्री रविन्द्र कुमार के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया ।</p> <p>2) आवेदक के द्वारा ग्राम हीरापुर प.ह.नं. 83 तहसील छतरपुर की नामांतरण की पंजी क्रमांक 22 प्रविष्टि दिनांक 15-04-1978 के कॉलम (7) के आधार पर भूमिस्वामी पट्टा की प्रविष्टि खसरा/कम्प्यूटर में कराने हेतु आवेदन दिया है ।</p> <p>3) आवेदन के साथ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत पारित आबंटन आदेश व पट्टे की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जिस कारण से धारा 32 के अंतर्गत कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है ।</p> <p>4) अतः आवेदन अग्रहण किया जाता है । आवेदक अपना आवेदन कलेक्टर जिला छतरपुर को प्रस्तुत करे, जिस पर कलेक्टर जांच उपरांत विधि अनुसार निर्णय ले ।</p>	<p>सर्वसय 19.7.18</p>

सर्वसय

सर्वसय 19.7.18